न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 181/14 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2014/00530

अनवान्

1. श्रीमती मांगीबाई पिता तेजा पत्नी हेमा जाट निवासी सालेराखुर्द तहसील मावली।
2. श्रीमती केसरबाई पिता तेजा पत्नी हीरा जाट निवासी फलीचडा खेडी तहसील मावली।
3. श्रीमती नोसरबाई पिता तेजा पत्नी गंगाराम जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री तेजा पिता लखमा जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली। (**मृतक तर्क किया**)
2. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. श्री शंकर पिता मोती जाट निवासी फलीचडा तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.07.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा फलीचडा पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 512, 525, 526, 527, 1269, 1272, 1278, 1284 किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 523, 1270 किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/4 हिस्सानुसार अंकित हैं।
2. यह कि हम पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

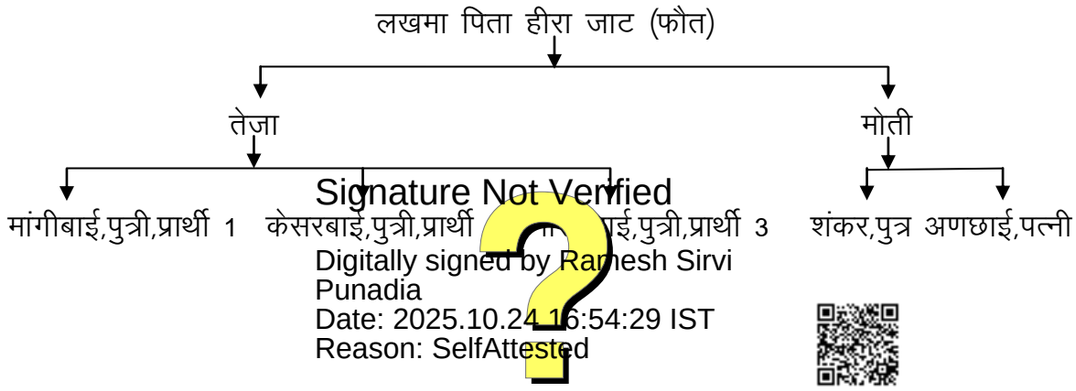

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात पूर्व में हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के मौरूस लखमा पिता हीरा जाट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर हम प्रार्थीगण अपने हक हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हैं। परिशिष्ट अ, ब में वर्णित भूमि पर हम प्रार्थीगण का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिससे विपक्षी संख्या 1 को भूमाफिया बहला फुसला कर उक्त सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित करा खुर्द बुर्द कराना चाह रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित या अन्तरित करने का अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में 3/8 हिस्सा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि में 3/16 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी हैं। इसलिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका भूमाफिया लोग नाजायज फायदा उठा उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से खुर्द बुर्द कराने की नियत से हस्तान्तरित कराने पर उतारू हो रहे है तथा विपक्षी संख्या 1 भी नाजायज रूप से उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से भूमि को हस्तान्तरित कर हम प्रार्थीगण को हमारी पैतृक कृषि भूमि में हमारे हिस्से से वंचित करने पर आमादा है जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1 हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 17.09.2014 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित कर हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की भूमि से वंचित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो विपक्षी संख्या 2 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 3, 4 राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 फौत होने से इनका नाम तर्क किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2 से 4 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :—

1. *प्रथम दृष्टया मामला*— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2014 के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा लखमा के नाम दर्ज थी जो विरासत के आधार पर प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 तेजा के नाम दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने से वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष प्रार्थीगण के दादा लखमा पिता हीरा जाट के समय से चली आना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षी संख्या 5 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 5 अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दु–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 5 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 5 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा फलीचडा पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 109 पर दर्ज आराजी नम्बर 512, 525, 526, 527, 1269, 1272, 1278, 1284 किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा एवं खाता संख्या 387 पर दर्ज आराजी नम्बर 523, 1270 किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व [illegible] में दर्ज थी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2014 से विपक्षी संख्या 5 को विक्रय कर दी तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान मे फौत हो चुका हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 5 शंकर के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं जो पूर्व में प्रार्थीगण के पिता तेजा के नाम दर्ज थी एवं तेजा के नाम लखमा के फौत होने से विरासत के आधार पर दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थीगण, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 5 व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। दस्तोवज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होना प्रतीत होता हैं। पैतृक भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक निहित होता है। भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 5 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 5 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

प्रकरण में दिनांक 26.09.2014 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। इससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 5 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जायेंगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फलीचडा पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 426 पर दर्ज आराजी नम्बर 1270, 523 किता 2 कुल रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 5 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्से के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसी प्रकार खाता संख्या 373 पर दर्ज आराजी नम्बर 1269, 1272, 1278, 1284, 512, 525, 526, 527 किता 8 कुल रकबा 3.0028 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 5 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्से के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। शेष खाता बदस्तुर रहे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested